-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर कर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा पीड़िता की निजता व गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष किया गया पेश।**
- **मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की भर्त्सना करते हुए 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया जेल। पुलिस को ऐसे लोगों पर सख्त एवं उदाहरणात्मक कार्यवाही के दिए निर्देश।**

विवरण– कतिपय अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया पर थाना कालिंजर क्षेत्र की घटना में दुष्कर्म पीड़िता की फोटो और पहचान उजागर करने का कुत्सित प्रयास करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा पीड़िता की निजता व गोपनीयता का उल्लंघन किया गया जिसके संबंध में थाना कालिंजर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज दिनांक 01.08.2025 को मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सो एक्ट के समक्ष पेश किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों की कड़ी निंदा करते हुए दोनों अभियुक्तों को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया। मा0 न्यायालय द्वारा पुलिस को निर्देशित किया गया कि ऐसे अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही करें जिससे कि आगे कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य न करे।

दुष्कर्म पीड़िता की पहचान को उजागर करना न केवल अमानवीय और अनैतिक है, बल्कि यह कानून और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन भी है। सोशल मीडिया पर निम्नलिखित गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है:-

पीड़िता की पहचान उजागर न करें:- नाम, पता, फ़ोटो, परिजनों की पहचान, स्कूल/कॉलेज, क्षेत्र आदि की जानकारी साझा करना प्रतिबंधित है तथा विभिन्न धाराओं के तहत दण्डनीय है।

किसी भी पोस्ट, कमेंट या स्टोरी में अप्रत्यक्ष पहचान भी न दें:- जैसे "उस लड़की का स्कूल जो अमुक घटना में पीड़िता है" — यह भी अपराध की श्रेणी में आता है।

मीडिया रिपोर्ट को शेयर करने से पहले सावधानी रखें:- सुनिश्चित करें कि रिपोर्ट में पीड़िता की कोई जानकारी नहीं है।

वायरल पोस्ट को आगे न बढ़ाएं:- अगर किसी पोस्ट में पीड़िता की पहचान हो, तो उसे शेयर, लाइक या कमेंट न करें तथा तुरंत रिपोर्ट करें।

स्क्रीनशॉट और वीडियो साझा करने से बचें:- केस से जुड़ा कोई वीडियो, बातचीत या CCTV फुटेज शेयर/वायरल करना निजता का उल्लंघन है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें:- यदि कोई पोस्ट पीड़िता की गोपनीयता भंग करता है, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर उस पोस्ट को तत्काल "Report" करें।

कानून का पालन करें:- दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सजा और जुर्माना हो सकता है अतः एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कानून का पालन करें।

मा0 उच्चतम न्यायालय को निर्देशों का पालन करें:- निरभया केस तथा निपुण सक्सेना केस में मा0 सर्वोच्च ने निर्देशित किया कि **"पीड़िता की पहचान को मीडिया और सोशल मीडिया में उजागर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित और दण्डनीय है।"**